

स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर


क्रमांक : प.4(1-आर)()स्वा.के.रा.कृ.वि./सी/2022/ 183

दिनांक : 26.05.2022

कार्यालय आदेश


इस विश्वविद्यालय में दिनांक 1-1-2004 एवं उसके पश्चात नियुक्त कार्मिकों के लिये पुरानी पेंशन योजना (OPS) लागू करने के संबंध में, राजस्थान सरकार, वित्त विभाग (नियम अनुभाग), से जारी परिपत्र क्रमांक प.12(3)वित्त-नियम/2022 दिनांक 24.03.2022, जो पालनार्थ हेतु इस कार्यालय के क्रमांक प.4(1-आर)()स्वा.के.रा.कृ.वि./सी/2022/1311 दिनांक 28.03.2022 द्वारा वि.वि. की इकाइयों को प्रेषित किया गया था। उक्त परिपत्र को माननीय कुलपति महोदय के निर्देशानुसार इस कार्यालय के आदेश क्रमांक प.4(1-आर)() स्वा.के.रा.कृ.वि./सी/2022/1312 दिनांक 31.03.2022 द्वारा विश्वविद्यालय में लागू करना स्थगित (Kept in abeyance) किया गया था। प्रकरण में राज्य सरकार से मार्गदर्शन इस कार्यालय के पत्र क्रमांक प.4(1-आर)()स्वा.के.रा.कृ.वि./ सी/2022/99-100 दिनांक 21.04.2022 के संदर्भ के तहत अभी तक प्राप्त होना अपेक्षित है।

इसी दरम्यान अन्य स्वायत्तशासी संस्थानों के मार्गदर्शन हेतु प्रकरण वित्त विभाग में संदर्भित होने पर राजस्थान सरकार, वित्त विभाग (नियम अनुभाग), द्वारा परिपत्र क्रमांक प.12(3)वित्त-नियम/2022 दिनांक 18.04.2022, 19.05.2022 व प12(2)वित्त-नियम/2022 दिनांक 19.05.2022 जारी किये गये हैं। अतः कुलपति महोदय के निर्देशानुसार इस कार्यालय द्वारा जारी आदेश क्रमांक प.4(1-आर)()स्वा.के.रा.कृ.वि./ सी/2022/1312 दिनांक 31.03.2022 को प्रत्याहरित (Withdraw) किया जाता है तथा संदर्भ में राज्य सरकार द्वारा जारी उक्त परिपत्रों की विश्वविद्यालय में पालना सुनिश्चित कराने के निर्देश प्रदान किये जाते हैं।


(पवन कुमार कस्वाँ)
वित्तनियंत्रक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. समस्त अधिष्ठाता/निदेशक/क्षे.निदेशक/प्रभारी अधिकारी/ईओ/डीडीओ।
2. कुलसचिव, स्वा.के.रा.कृ.वि., बीकानेर।
3. निजी सचिव कुलपति, स्वा.के.रा.कृ.वि., बीकानेर।
4. कोषाधिकारी, स्वा.के.रा.कृ.वि., बीकानेर।
5. प्रभारी CIMCA, स्वा.के.रा.कृ.वि., बीकानेर को वि.वि. वेबसाइट पर अपलोडिंग हेतु।
6. रक्षित पत्रावली।


(पवन कुमार कस्वाँ)
वित्तनियंत्रक